न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थित– मोहम्मद रफी(एच०जे०एस०)

UPSD010008472026

Bail Application/339/2026

चन्द्रिका पुत्र नागेश्वर ग्राम परसा शाह आलम थाना व जनपद सिद्धार्थनगर

---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश ---विपक्षी/आपत्तिकर्ता

मु०अ०सं०---1041/2015
धारा–138 B भा०वि०अधि०
थाना– सिद्धार्थनगर
जनपद– सिद्धार्थनगर।

दिनांक–10.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त चन्द्रिका की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है। उसे महज रंजिशन फसाया गया है। उसने हरगिज विद्युत चोरी नहीं किया है न ही चोरी का कोई तार आदि बरामद हुआ है। उसे झूठी खानापूर्ति के चक्कर में एफ०आई०आर० दर्ज करा दिया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह बाल बच्चेदार व्यक्ति है। जमानत एवं मुचलके पर छूटने के बाद फरार होने का अन्देशा नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत मुचलका पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता(विद्युत अधिनियम) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है।

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.03.10 16:29:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर बकाया विच्छेदन के बावजूद विद्युत बिल का भुगतान किये बिना एल०टी० लाइन से केबिल जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपभोग करने का अभियोग है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। प्रकरण में आरोप–पत्र आ चुका है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

6. अभियुक्त चन्द्रिका का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा मु०–25000/–(पच्चीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–10.03.2026

(मोहम्मद रफी)

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,

सिद्धार्थनगर।

J.O. CODE – UP 6336